सूचना का अधिकार के अंतर्गत छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि. रायपुर में प्रथम अपीलीय अधिकारी
श्री मनोज खरे, कार्यपालक निदेशक (मा.सं.)

O/o E.D. (EITC)
CSPDCL Raipur
Receipt No. 3304
Date 22 DEC 2021
AGM (IT)
SE (O)/SE ...
EE ...
Section...

अपील प्रकरण क्रमांक 06/2021 दिनांक 01.10.2021

श्री गणेश वारे
रायपुर

अपीलार्थी

विरूद्ध

श्री पंकज सिंह परमार
जनसूचना अधिकारी, होल्डिंग कंपनी

प्रतिअपीलार्थी

—:: आदेश ::—

(दिनांक 22/12/2021 को पारित)

अपीलार्थी श्री गणेश वारे ने यह अपील जनसूचना अधिकारी, सह उप महाप्रबंधक (मा.सं.)—दो, के निर्णय दिनांक 26.08.2021 से व्यथित होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत किया है।

(2) प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार के अंतर्गत "दिनांक 01.04.2019, 01.04.2020 तथा 01.04.2021 की स्थिति में कार्यालय सहायक श्रेणी—एक से संबंधित प्रदेश की संयुक्त वरिष्ठता सूची की प्रमाणित प्रति चाही गई है।

(3) अपील की सुनवाई दिनांक 28.10.2021 को निर्धारित की गयी। उक्त तिथि को जनसूचना अधिकारी उपस्थित हुए, किन्तु अपीलार्थी अनुपस्थित रहें। अतः अपील में सुनवाई की कार्यवाही नही की जा सकी।

अपील की सुनवाई दिनांक 23.11.2021 को पुनः निर्धारित किया गया। नियत तिथि को अपीलार्थी अपने अधिकृत प्रतिनिधि के साथ उपस्थित हुए। किन्तु अपरिहार्य कारणवश उक्त तिथि को अपील में सुनवाई की कार्यवाही नहीं की जा सकी। अतः अपीलार्थी द्वारा अनुरोध किया गया कि अपील की सुनवाई किसी भी दिवस में दोपहर 12:00 बजे निर्धारित कर, सुनवाई की सूचना दूरभाष के माध्यम से देने का कष्ट करें।

दर्ज अपील की सुनवाई मौखिक रूप से दिनांक 25.11.2021 को दोपहर 11:30 बजे निर्धारित की गयी। जिसकी सूचना अपीलार्थी को दूरभाष के माध्यम से दी गयी। पुनः निर्धारित तिथि 25.11.2021 को अपरिहार्य कारणवश अपील सुनवाई को स्थगित किया गया। जिसकी सूचना अपीलार्थी को दूरभाष के माध्यम से दी गयी और अपील की सुनवाई दिनांक 09.12.2021 को दोपहर 12:00 बजे निर्धारित किया गया। जिसकी सूचना अपीलार्थी को दूरभाष के माध्यम से दी गयी।

निर्धारित तिथि को जनसूचना अधिकारी एवं अपीलार्थी अपने अधिकृत प्रतिनिधि के साथ उपस्थित हुए। अतः प्रकरण में सुनवाई की कार्यवाही संपन्न की गई।

(4) (अ) अपील प्रकरण में सुनवाई के दौरान संबंधित अभिलेखों/दस्तावेजों का अवलोकन कर, जनसूचना अधिकारी एवं अपीलार्थी के तर्क सुने गए।

(ब) अपीलार्थी का तर्क कि चाही गई जानकारी के संदर्भ में जन सूचना अधिकारी द्वारा वांछित जानकारी/दस्तावेज इस कार्यालय के कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार उपलब्ध नही होने का लेख किया गया है। चूंकि अनुभाग अधिकारी के लिए पैनल संधारण महाप्रबंधक (मा.सं.) छ.ग.

स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि. द्वारा किया जाता है तथा पैनल संधारण का आधारभूत दस्तावेज वरिष्ठता सूची होती है। दिनांक 01.04.2019, 01.04.2020 तथा 01.04.2021 की स्थिति में कार्यालय सहायक श्रेणी–एक की प्रदेश स्तर की संयुक्त वरिष्ठता सूची का संधारण ही नही किया गया है तो जाहिर है अनुभाग अधिकारी के पैनल में अनपेक्षित त्रुटियां होगी जिसके कारण कर्मचारियों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। विगत माहों में आपके कार्यालय द्वारा कार्यालय सहायक श्रेणी–एक से अनुभाग अधिकारी के पद हेतु पदोन्नति आदेश जारी किए गए है, अतः जन सूचना अधिकारी द्वारा वांछित वरिष्ठता सूची का कार्यालय अभिलेख में उपलब्ध नही होने की जानकारी देना विधि सम्मत नही है। अतः उन्हे वांछित जानकारी उपलब्ध करायी जाए।

(स) जनसूचना अधिकारी का पक्ष कथन था कि चाही गई जानकारी के संबंध में निर्धारित समयावधि के भीतर पत्र कमांक 1730 दिनांक 26.08.2021 के माध्यम से अपीलार्थी को अवगत कराया गया है कि वांछित जानकारी इस कार्यालय के कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार उपलब्ध नहीं है। अतः जानकारी उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है।

(5) जन सूचना अधिकारी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि दिनांक 01.04.2019, 01.04.2020 तथा 01.04.2021 की स्थिति में कार्यालय सहायक श्रेणी–एक से संबंधित प्रदेश की संयुक्त वरिष्ठता सूची बनाई नहीं गई है। अतः जानकारी/दस्तावेज इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

यह लेख किया जाना उचित होगा कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत केवल ऐसी जानकारी/सूचना देय है, जो विद्यमान है और जो लोक प्राधिकारी के पास अथवा उसके अधीन संधारित है। जन सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना अपेक्षित नहीं है।

अपीलार्थी को यह भी अवगत कराया गया कि कार्यालय सहायक श्रेणी–एक/दो/तीन की वरिष्ठता सूची क्षेत्रीय पॉवर कंपनीज के मुख्यालय कार्यालय द्वारा संधारित की जाती हैं। तथा पॉवर कंपनीज में उपलब्ध पद रिक्तता के आधार पर क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा उक्त पदों की नियमानुसार पदोन्नतियॉं की जाती है।

उल्लेखनीय है कि पॉवर कंपनीज में कार्यालय सहायक श्रेणी– एक से अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नति केन्द्रीय स्तर पर की जाती है। अनुभाग अधिकारी की पदोन्नति द्वितीय श्रेणी अधिकारी यथा प्रशासनिक अधिकारी/लेखाधिकारी के पद पर होती है। कार्यालय सहायक श्रेणी–एक की वरिष्ठता सूची क्षेत्रीय पॉवर कंपनीज कार्यालय द्वारा संधारित की जाती है। क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा कार्यालय सहायक श्रेणी–एक की बनाई गई वरिष्ठता सूची को एकत्र कर कार्यालय सहायक श्रेणी–एक से अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु कार्यालय सहायक श्रेणी–एक की संयुक्त वरिष्ठता सूची संधारित की जाती है। अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु कार्यालय सहायक श्रेणी–एक की प्रदेश स्तर की संयुक्त वरिष्ठता सूची वर्ष 2018 में संधारित की गई है।

पॉवर कंपनीज में अनुभाग अधिकारी के रिक्त हुए पदों को भरे जाने हेतु जो कर्मचारी यथा कार्यालय सहायक श्रेणी– एक द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हता पूर्ण किये जाने पर उसे नियमानुसार पदोन्नत किया जाता है। अतः अपीलार्थी का यह कथन कि पैनल में त्रुटियां होगी निःसंदेह निराधार है। अपीलार्थी द्वारा कार्या. सहायक श्रेणी–एक से संबंधित प्रदेश स्तर की संयुक्त वरिष्ठता सूची की जिस अवधि की जानकारी/अभिलेख की मांग की गई है वह कार्यालयीन दस्तावेजों में उपलब्ध नही है।

अपीलार्थी का कथन कि उन्हे वर्ष 2018 में बनाई गई कार्यालय सहायक श्रेणी–एक की प्रदेश स्तर की संयुक्त वरिष्ठता सूची की प्रति तथा वरिष्ठता सूची निर्धारण से संबंधित नीति–नियम की प्रति उपलब्ध करायी जाए।

जन सूचना अधिकारी का यह कथन कि अपीलार्थी को वर्ष 2018 में संधारित की गई कार्या. सहा. श्रेणी – एक की प्रदेश स्तर की संयुक्त वरिष्ठता सूची की प्रति (जो कि मूल आवेदन में नही मांगी गई थी) तथा वरिष्ठता सूची निर्धारण संबंधी नीति–नियम की प्रति अपीलार्थी को उसके शंका के समाधान हेतु अपील में पारित निर्णय के अनुसार उपलब्ध करायी जा सकती है। दिये गए तर्क से अपीलार्थी द्वारा संतुष्टि व्यक्त की गयी।

(6) प्रकरण में आये तथ्यों एवं तर्को से प्रतीत होता है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा पैरा 04 (स) एवं 05 में जो कार्यवाही किया गया है वह तर्क संगत है।

जैसा कि इन सभी विवरणों से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई दिनांक 01.04.2019, 01.04.2020 तथा 01.04.2021 की स्थिति में कार्यालय सहायक श्रेणी–एक से संबंधित प्रदेश की संयुक्त वरिष्ठता सूची की जानकारी कार्यालयीन दस्तावेजों में उपलब्ध नहीं है क्योकि अंतिम सूची 2018 में बनाई गई थी। इस तथ्य से जनसूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में अवगत करा दिया गया है।

यहाँ यह भी उल्लेख किया जाना प्रासंगिक होगा कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत केवल ऐसी सूचना देना है, जो विद्यमान है और जो लोक प्राधिकरण के पास अथवा उसके अधीन संधारित है। जनसूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना अपेक्षित नही है। केवल अनुमान के आधार पर मांगी गई कोई सूचना दिया जाना संभव नही है। ऐसी कोई सूचना/जानकारी नहीं दी जा सकती है जो कि अस्तित्व में न हो या कार्यालयीन अभिलेख में संधारित न हो।

(7) जहाँ तक अपील का प्रश्न है, उल्लेखित पैरा 04 (स) एवं 05 टीप में जनसूचना अधिकारी द्वारा जो कार्यवाही एवं तर्क दिया गया है वह स्वीकार योग्य है।

सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपील पर निर्णय करना एक अर्द्ध–न्यायिक कार्य है। इसलिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि न्याय केवल हो ही नही, बल्कि वह होते हुए भी दिखाई दे।

उपरोक्त पैरा के दृष्टिगत अपीलार्थी को वर्ष 2018 में संधारित की गई कार्यालय सहायक श्रेणी– एक की प्रदेश स्तर की संयुक्त वरिष्ठता सूची की प्रति तथा वरिष्ठता सूची निर्धारण संबंधी नीति–नियम की प्रति उपलब्ध कराया जाना उचित होगा। यद्यपि यह जानकारी मूल आवेदन में नहीं मांगी गई थी, फिर भी सूचनाधिकार के अनुरूप इसे प्रदान किया जाए।

अतएव जनसूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे अपील आदेश जारी होने के 10 दिवस के भीतर वर्ष 2018 में संधारित की गई कार्यालय सहायक श्रेणी–एक की प्रदेश स्तर की संयुक्त वरिष्ठता सूची की प्रति तथा वरिष्ठता सूची निर्धारण से संबंधित नीति–नियम की प्रति कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर अपीलार्थी को नि:शुल्क उपलब्ध कराये।

उक्त निर्देश के दृष्टिगत दर्ज अपील प्रकरण (पंजीयन क्रमांक 06/2021 दिनांक 01.10.2021) एतद् द्वारा नस्तीबद्ध किया जाता है।

(मनोज खरे)
अपीलीय अधिकारी
सह कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष क्रमांक –0771–2574700

क्रमांक :– 01–02/अपील प्रकरण –06/2021/30 रायपुर, दिनांक 22/12/2021

प्रतिलिपि :–

(1) जनसूचना अधिकारी सह उप महाप्रबंधक (मा0सं0)–दो, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(2) प्रबंधक (मा.सं.)–तीन, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(3). श्री गणेश वारे, पिता श्री मोहन लाल वारे, छोटा भवानी नगर, विवेकानंद विद्यापीठ के पीछे, वार्ड कमांक –20, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ प्रेषित।

(4) कार्यपालक निदेशक (EITC), छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि.,रायपुर –उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी चाहें तो छ0 ग0 सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकतें है।

पता :– सचिव,
छत्तीसगढ राज्य सूचना आयोग
अटल नगर, नवा रायपुर

(मनोज खरे)
अपीलीय अधिकारी
सह कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574700